संख्या: 4/2017/466/12-2-2017-14/2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2017

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं ओ0 ए0 सं0-118/2013 विक्रान्त कुमार तोंगड बनाम इन्वायरन्मेंट पल्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अथारिटी व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेशों के क्रम में कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु मा0 अधिकरण द्वारा आदर्श जनपद विकसित किए जाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के एक जनपद को आदर्श जनपद के रूप में विकसित किए जाने हेतु जनपद के उद्योगों से कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के तहत सहयोग प्राप्त कर कृषि अपशिष्टों के सुरक्षित निस्तारण की कार्यवाही हेतु समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किए जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न बैठक में जनपद बुलन्दशहर को आदर्श जनपद के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अत: जनपद के उद्योगों से कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के तहत सहयोग प्राप्त कर कृषि अपशिष्टों के सुरक्षित निस्तारण हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

1	जिलाधिकारी, बुलन्दशहर	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर	सदस्य
3	उप कृषि निदेशक, बुलन्दशहर	सदस्य-सचिव
4	जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर	सदस्य
5	जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर	सदस्य
6	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	प्रबन्धक, अग्रणी बैंक, बुलन्दशहर	सदस्य
8	कृषि रक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर	सदस्य
9	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बुलन्दशहर	सदस्य
10	महाप्रबन्धक, दुग्ध संघ, बुलन्दशहर	सदस्य

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से 03 अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन करते हुए प्रत्येक माह समिति की बैठक आहूत कर उद्योगों से कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर कृषि अपशिष्टों के सुरक्षित निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या-4/2017/466(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण/कृषि/गन्ना एवं चीनी उद्योग/उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।